संख्या-पी-181/81-2-2022-800(171)/2022

प्रेषक,

आर0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 जून 2022

विषय- जनपद मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत दाँती ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों मे पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे0 संरक्षित वनभूमि एव 0.5897 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.7694 हे0 वनभूमि के विना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाइपलाइन/152749/2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3525/11-सी-एफपी/यूपी/पाइपलाइन/152749/2022 दिनांक 13.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न कमियां पायी गई है :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ-39 के मध्य भाग में 4 इंच व्यास से ऊपर भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल 0.7070 हे0 है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ-39 के मध्य भाग में 4 इंच व्यास से कम भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल 0.0624 हे0 है।
3. कुल 0.7695 हे0 आरक्षित वनभूमि का उल्लेख पृष्ठ-40/41 में अंकित विवरण के योग में है, जबकि प्रस्तावानुसार 0.1797 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 0.5897 हे0 आरक्षित वनभूमि प्रस्तावित है, जो त्रुटिपूर्ण/भ्रामक है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार स्थित स्पष्ट करते हुए त्रुटिरहित प्रस्ताव/प्रमाण पत्र अपनी संस्तुति सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकृति का है। अतः शीर्षप्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,

Signed by राम प्रकाश सिंह
Date: 16-06-2022 15:31:08
Reason: Approved
(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक–3597/11–सी–FP/UP/Pipeline/152749/2022, लखनऊ, दिनांकः जून 16 ,2022

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, अभाव खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।